

प्रेषक,
मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- 1- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ०प्र०।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 3- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 28/जनवरी/2021

विषय:-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन सामुदायिक एवम् महिला शौचालयों की **Third Party Verification Checklist** के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है, कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत समय-समय पर शासनादेशों के माध्यम से एवं भारत सरकार द्वारा गाईडलाईन्स के माध्यम से सामुदायिक शौचालय एवं महिला शौचालय के मानक व निर्माण सम्बन्धी दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, तत्क्रम में शासनादेश संख्या 2374/33-3-2020-25/2020 दिनांक 04 नवम्बर 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत इतने बड़े स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में निवेश किया जा रहा है, जिसमें उच्च स्तरीय सुविधाओं वाले शौचालय भी सम्मिलित हैं। औसत लागत रु० 5.0 लाख प्रति शौचालय की गणना के अनुसार प्रदेश में यह कार्य लगभग रु० 2900 करोड़ का है। शौचालयों की उच्च गुणवत्ता एवं देख-रेख प्रणाली स्थापित करने हेतु Third Party Verification का प्रावधान किया गया है जिससे शौचालयों के निर्माण का पूर्ण लाभ जनता को मिले एवं इसके साथ-साथ उपयोगिता भी सुनिश्चित की जा सके।

2-उपरोक्त विषयक सामुदायिक शौचालयों की Third Party Verification हेतु शासन के पत्रांक संख्या 920/33-3-2020-25/2020 दिनांक 18.05.2020 द्वारा क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र लखनऊ को रिसोर्स सेन्टर नामित किया गया है। शौचालयों के वेरिफिकेशन हेतु पत्र के साथ वेरिफिकेशन सूची संलग्न है, जिसके मुख्यतः दो भाग हैं:-

(I) प्रथम भाग- इस भाग में एस०बी०एम० (ग्रामीण) के अन्तर्गत समय-समय पर निर्गत शासनादेश एवम् पत्र संख्या 988/33-3-2020-31/2019 दिनांक 22/05/2020 के अनुसार सामुदायिक एवम् महिला शौचालय के स्थल का चयन, डिजाईन, इंजीनियरिंग, सुगमता एवं कार्यप्रणाली की वेरिफिकेशन कर कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा, एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि CSC/WSC का निर्माण उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

(II) द्वितीय भाग- शासनादेश संख्या 1758/33-3-2020-31/2019 दिनांक 15/07/2020 के अनुसार CSC/WSC के संचालन एवं रख-रखाव की व्यवस्था को केन्द्र बिन्दु रखते हुए सूचना तैयार करना एवं शौचालय का उपयोग हेतु तैयार का प्रमाण-पत्र जारी किया जाना है।

3-शौचालयों की जाँच हेतु थर्ड पार्टी द्वारा स्थल का दो बार भ्रमण किया जायेगा, प्रथम भ्रमण में निर्मित एवं निर्माणाधीन सामुदायिक एवं महिला शौचालयों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच, उचित संचालन एवं रख-रखाव तथा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्यकर्ता जो कि सामुदायिक एवं महिला शौचालयों की देख-भाल करते हैं, उनका वेरिफिकेशन किया जायेगा, और शौचालयों के उचित उपयोग के लिए सुझाव दिये जायेगे। द्वितीय निरीक्षण में जो पहले भ्रमण के दौरान शौचालय निर्माणाधीन अवस्था में थे, उनके निर्मित अथवा निर्माणाधीन अवस्था में निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं दिये गये सुझावों के क्रियान्वयन, निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा संचालन एवं रख-रखाव प्रणाली का वेरिफिकेशन किया जायेगा, एवं स्वयं सहायता समूह कार्यकर्ता आदि के कार्यों की जाँच कर वेरिफिकेशन सूचना तैयार की जायेगी।

Manoj

4- थर्ड पार्टी द्वारा जनपद एवम् विकास खण्ड से सम्बन्धित अधिकारियों के साथ जिला स्तर पर निम्नलिखित बिन्दुओं पर बैठक भी की जायेगी।

- जनपद, विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की जानकारी दी जायेगी।
- सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को चेकलिस्ट से भिन्न कराया जायेगा।
- थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए समय सारणी पर चर्चा कर तैयार की जायेगी।
- डिब्रीफिंग प्रक्रिया पर सहमति प्राप्त की जायेगी।

5- प्रस्तावित थर्ड पार्टी सत्यापन के मुख्यतः दो कम्पोनेंट होंगे:-

(i) मौके पर निर्मित/निर्माणाधीन शौचालय का मौका मुआयना व संलग्न चेक लिस्ट को भरना तथा रिपोर्टिंग। इस कार्य में दो विजिट के लिए रू0 1006 अनुमन्य होगा।

(ii) कैपसिटी बिल्डिंग वर्कशाप-जनपद में इस विषय पर सम्बन्धित स्टेक होल्डर के साथ वर्कशाप का आयोजन भी किया जायेगा। इसके लिए प्रति जनपद 02 लाख की धनराशि अनुमन्य होगी।

6- इस विषय पर भारत सरकार से प्राप्त पत्र सं0-No.5-16011/10/2020/SBM-DDWS दिनांक 26.11.2020 के साथ सामुदायिक शौचालयों के रैपिड एप्रेजल के लिए संलग्न प्रारूप पर भी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन में सूचना एकत्रित की जायेगी (प्रति संलग्न)।

7- उपरोक्त कार्य पर आने वाला व्यय स्वच्छ भारत मिशन के कैपसिटी बिल्डिंग/आई0ई0सी0 मद से वहन किया जायेगा।

उपरोक्त कार्य (थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन) की एक सत्यापित प्रति मासिक/द्विमासिक सूचना शासन स्तर एवम् पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत की जायेगी।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक :- तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पंचयती राज) उ0प्र0।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से



(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव



PANCHAYTI RAJ DEPARTMENT, UTTAR PRADESH
पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत सामुदायिक शौचालय भवन (CSC) और महिला एवं बच्चों के शौचालयों (WSC) हेतु जाँच सूची

प्रथम भाग : कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र

द्वितीय भाग : उपयोग हेतु तैयार का प्रमाण-पत्र

प्रथम भाग : कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र

भाग अ –स्थान चयन के लिए शासनादेश के प्रावधान के अनुपालन हेतु जाँच सूची

क्र०स०	मापदण्ड/जाँच बिन्दु	जाँच लिस्ट में सही ✓ एव गलत × का चिन्ह अंकित करें	फोटो संलग्न करने के लिए सही ✓ /गलत × का चिन्ह अंकित करें(यदि फोटो नहीं खींची गयी है तो कारण बताये)	प्रेक्षण/टिप्पणी
1	सुगम्य एवं आबादी से जुड़ा हुआ है।			
2	स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले स्थान पर स्थिति है।			
3	250 मीटर से कम दूरी के अन्दर एवं 500 मीटर से अधिक नहीं			
4	सीएससी/डब्ल्यूएससी के आसपास के क्षेत्र के प्रसार की स्थिति			
5	महिलाओं की सुरक्षा के लिए रास्ते पर स्ट्रीट लाईट होनी चाहिए (रात में 2-4 घंटे रोशनी के लिए सौर पैनल की सिफारिश की गई)।			
6	महिलाओं के लिए प्रवेश मार्ग मुख्य रास्ते की ओर से होना चाहिए			
7	जगह के चयन में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए			
8	क्या यह सुविधा अस्थायी आबादी को सुविधाएँ प्रदान कर रही है			
9	जगह /स्थान किसी भी भूमि विवाद से मुक्त हानी चाहिए			

Manaf



PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT, UTTAR PRADESH
पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश

भाग: ब) डिजाइन मापदंडों के लिए जाँच सूची

क्र०स०	मापदण्ड/ जाँच बिन्दु	जाँच लिस्ट में सही ✓ एव गलत × का चिन्ह अंकित करें	फोटो संलग्न करने के लिए सही ✓ / गलत × का चिन्ह अंकित करें(यदि फोटो नहीं खींची गयी है तो कारण बताये)	प्रेक्षण/ टिप्पणी
भाग ब -1 (वास्तु निर्माण के अनुसार भवन का निर्माण)				
1	एसबीएम (ग्रामीण) और संबंधित शासनादेश के अनुसार नक्शा			
2	ड्राइंग के अनुसार प्लिंथ			
3	ड्राइंग के अनुसार वर्षा के पानी हेतु नालियों की व्यवस्था			
4	ड्राइंग के अनुसार बीम और कॉलम विवरण			
5	इंसीनरेटर/भस्मक/विद्युत भट्ठी की उपस्थिति यदि है तो			
6	डिजाइन का निर्माण बाल अनुरूप किया गया है			
भाग -ब-2 निम्न श्रेणी के स्थान की स्थिति एवं मात्रा सही है				
1	स्नानागार की संख्या (पुरुष)			
2	स्नानागार की संख्या (महिला)			
3	शौचघर की संख्या (पुरुष)			
4	शौचघर की संख्या (महिला)			
5	पेशाब घर की संख्या (पुरुष)			
6	दरवाजे			
7	खिड़कियाँ			
8	रोशनदान			
9	वॉशबेसिन			
10	शौचालय में नल की सुविधा			
11	विद्युत बिंदु			
12	ओवरहेड टैंक/पानी भण्डारण एवं नियमित पानी की व्यवस्था			
भाग ब-3 -उपलब्धता एवं कार्य				
1	बच्चों के उपयोग के लिए अनुकूल			
2	महिलाओं के उपयोग के लिए अनुकूल			
3	दिव्यांगों के उपयोग के लिए अनुकूल			
4	रैंप विवरण (ढलान, रेलिंग, फिसलनरहित)			
5	महिला एवं पुरुष के लिए शौचालय में अलग-अलग प्रवेश द्वार होना चाहिए			
6	फर्स की ढाल सही होना चाहिए एवं फर्स टूटा हुआ न हो (पानी के जमाव की जाँच करें)			

Manoj



PANCHAYTI RAJ DEPARTMENT, UTTAR PRADESH
पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश

भाग ब-4 - शौचघर एवं पानी की विशेष सुविधाओं का विवरण				
1	एसबीएम (ग्रामीण) के अनुसार पैन का निर्माण है?(विशेष रूप से ढलान)			
2	फूट रेस्ट, क्या पैर रखने का स्थान उचित है (विशेष रूप से कोण)			
3	वॉटर क्लोसेट की ढलान			
4	दरवाजे की कुंडी लगी है (विशेष रूप से उचाई)			
5	कपड़ों के लिए हुक लगा है (विशेष रूप से उचाई)			
6	पानी की सील अच्छी तरह से पी/एस ट्रेप में बनी हुई है जाँच करें।			

भाग -स) साइट इन्जीनियरिंग मापदंडों के लिए जाँच सूची (यदि निर्माणाधीन के लिए लागू हो)

क्र०स०	मापदण्ड / जाँच बिन्दु	जाँच लिस्ट में सही ✓ एवं गलत ✕ का चिन्ह अंकित करें	फोटो संलग्न करने के लिए सही ✓ / गलत ✕ का चिन्ह अंकित करें (यदि फोटो नहीं खींची गयी है तो कारण बताये)	प्रेक्षण / टिप्पणी
भाग स 1- प्रारम्भिक चरण का निर्माण				
1	क्या खुदाई आवश्यक गहराई के लिए सही ढंग से की गई है			
2	क्या दीवारें सीधी एवं बराबर बनी है			
3	क्या यह भवन आस-आस की संपत्तियों को प्रभावित कर सकता है			
4	क्या दीवार सही से बनी है एवं जलरोधी है			
भाग स 2 निकासी एवं भूमिगत प्लम्बिंग				
1	क्या पाइप सही स्थिति में हैं			
2	क्या नालियों का आयाम सही है			
3	क्या वर्षा जल की नालियां BOQ के हिसाब से बनी है			
भाग स 3 - कंक्रीट स्लैब				
1	क्या कंक्रीट स्लैब में पॉलिथीन वाष्प अवरोध (वाटर प्रूफिंग), एवं अन्य फिटिंग है?			
2	क्या दीवार की सुरक्षा के लिए कंक्रीट में अलग से पदार्थ मिलाये जाते है ताँकि दीवार में दरार न पड़े!			
3	क्या फर्श पूरी तरह से एक बार में डाला गया है फर्श डालते समय कोई अंतराल नहीं है!			
4	क्या फर्श में जोड़ मजबूत है			
भाग स 4 : नलसाजी/प्लम्बिंग				
1	क्या शौचघर/स्नानागार की प्लम्बरिंग सही ढंग से लगाई है			

Manoj



PANCHAYTI RAJ DEPARTMENT, UTTAR PRADESH
पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश

भाग द -साइट इंजीनियरिंग मापदंडों के लिए जाँच सूची (निर्माण के बाद)

क्र०स०	मापदण्ड/ जाँच बिन्दु	जाँच लिस्ट में सही ✓ एव गलत × का चिन्ह अंकित करें	फोटो संलग्न करने के लिए सही ✓ /गलत × का चिन्ह अंकित करें	टिप्पणी
भाग द 1 : ईंट एवं ब्लाक बिछाना				
1	क्या ईंटों को सीधा एवं सही बिछाया गया है			
2	क्या कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक है			
3	क्या रोशनदान के बीच की जगह अत्याधिक मोर्टार से मुक्त हैं			
भाग द 2 : नलसाजी/प्लम्बिंग				
1	क्या पानी का दबाव सामान्य है			
2	क्या शौचघर/स्नानागार की नलसाजी/प्लम्बिंग सही ढंग से लगी है			
भाग द 3 : गटर/गन्दा नाला एवं भूमिगत पाइप				
1	क्या पानी के जमाव को रोकने के लिए गटर या ड्रेन पाइप की ढलान सही है			
2	क्या डाउनपाइप सही स्थापित हैं -रंग, सामग्री, प्रोफाइल (आकार)			
3	क्या गटर की नाली बहाव रहित सही तरीके से स्थापित की गयी है ताकि भारी बारिश का पानी बाहर न आए।			
भाग द 4 : सामान्य भवन जाँच				
1	परिसर का बाहरी परिदृश्य			
भाग द 5) लीचड पिट /मल कीचड निपटान				
1	क्या जंक्शन कक्ष अच्छी तरह से काम कर रहा है			
2	जंक्शन कक्ष में होने वाले किसी भी तरह के जाम के लिए जाँचें।			
3	दिशा-निर्देशों के अनुसार लीच पिट या सेप्टिक टैंक आयामों की जाँच करें			
4	लीच पिट में पिट कवर की जाँच करें			
5	सेप्टिक टैंक से संबंधित सोखता गड्डो की जाँच करें			
6	सेप्टिक टैंक में बैफल दीवारों की जाँच करें(यदि संभव हो)			
7	सेप्टिक टैंक में मैनहोल की जाँच करें			

Manoj



PANCHAYTI RAJ DEPARTMENT, UTTAR PRADESH
पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश

भाग : इ कार्यकुशलता एवं परिष्करण की जाँच सूची

क्र०स०	मापदण्ड/ जाँच बिन्दु	जाँच लिस्ट में सही ✓ एवं गलत × का चिन्ह अंकित करें	फोटो संलग्न करने के लिए सही ✓ / गलत × का चिन्ह अंकित करें(यदि फोटो नहीं खींची गयी है तो कारण बताये)	प्रेक्षण/ टिप्पणी
भाग इ.1 (कार्यकुशलता)				
1	क्या दीवार पर तीन कोट किये गये हैं			
2	क्या दीवार पर पुट्टी की गयी है?			
3	क्या दरवाजों / खिड़कियों के सभी चिटकनी अच्छी तरह से लगी हुई हैं			
4	मोर्टार/पेंट के छींटों की जाँच करें, (विशेष से पैन पर)			
5	परिसर के अंदर और बाहर मलबे की जाँच करें!			
6	परिसर में किसी भी प्रकार से पानी के भराव की जाँच करें			
भाग इ 2 : परिष्करण				
1	सभी साईन बोर्ड सही ढंग से लगे हैं जाँच करें।			
2	सभी आई०ई०सी० संदेश सही ढंग से लगे हैं जाँच करें।			
3	परिसर में आकर्षकबिन्दु की जाँच करें।			

Manaf



PANCHAYTI RAJ DEPARTMENT, UTTAR PRADESH
पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश

द्वितीय भाग : उपयोग हेतु तैयार का प्रमाण-पत्र

भाग फ : सीएससी / डब्ल्यूएससी के संचालन और रखरखाव के लिए तत्परता पर ध्यान केंद्रित करना

क्र०स०	मापदण्ड / जाँच बिन्दु	जाँच लिस्ट में सही ✓ एव गलत × का चिन्ह अंकित करें	फोटो संलग्न करने के लिए सही ✓ / गलत × का चिन्ह अंकित करें (यदि फोटो नहीं खींची गयी है तो कारण बताये)	प्रेक्षण / टिप्पणी
1	रख-रखाव एवं मरम्मत के लिए रखे गये स्वयं सहायता समूह के सदस्य का नाम (महिला / पुरुष)			
2	उपरोक्त स्वयं सहायता समूह के सदस्य का मोबाईल न०			
3	स्वयं सहायता समूह का नाम			
4	क्या रख-रखाव व मरम्मत के लिए रखे स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की पहचान के लिए कोई ग्राम पंचायत कार्यवाही रही है			
5	क्या सी०एस०सी० / डब्ल्यू०एस०सी० के रख-रखाव के लिए स्वयं सहायता समूह के चयन के लिए औपचारिक लिखित सूचना दी गयी है			
6	क्या सफाई कर्म की पहचान के लिए स्वयं सहायता समूह प्रक्रिया के दस्तावेजी साक्ष्य है			
7	क्या ग्राम पंचायत से एसएचजी के लिए रख-रखाव एवं मरम्मत के लिए कोई औपचारिक हस्तान्तरण दस्तावेज और समय, सफाई मापदंडों, जिम्मेदार सफाई कर्मचारी के लिए जिम्मेदारी का विवरण है			
8	क्या जुलाई 2020 के शासनादेश के अनुसार सेवा स्तरों पर एवं स्वयं सहायकता समूह एवं कर्मियों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों का कोई विवरण है			
9	क्या स्वयं सहायता समूह को पहली किस्त मिली है और यदि हाँ तो कितनी मिली है			
10	क्या स्वयं सहायता समूह की जिम्मेदारी और सफाई कार्य को दिखाने का कोई माध्यम परिसर में उपलब्ध है			
11	15 जुलाई 2020 के शासनादेश के अनुसार सफाई सामग्री एवं उपयुक्त पी०पी०ई० (दस्ताने एवं मास्क) की उपलब्धता है			

Manoj